

प्रेस-विज्ञप्ति

जनपद आजमगढ़ में अब तक शान्ति व्यवस्था पूर्ण रूप से कायम है। दिनांक- 17.06.2022 को शुक्रवार की नमाज होगी उसके साथ-साथ आचार संहिता भी प्रभावी है। किसी को बिना परमिशन के कोई भी आयोजन किये जाने की अनुमति नहीं है। इसके सम्बन्ध में अलग-अलग स्तर पर अलग-अलग लोगों के साथ बैठकें करके अवगत करा दिया गया है। अब तक कुल 522 धर्म गुरुओं के साथ संवाद स्थापित किया गया है। 61 पीस कमेटी की बैठके पिछले 2 हफ्तों में अलग-अलग स्तरों पर थाना, तहसील, सर्किल, एडिशनल व हमारे स्तर पर की गयी है। पूरे जनपद को 25 सेक्टर में बाँटते हुए छोटे- सब सेक्टर में बाटते हुए सेक्टर स्कीम लागू की गयी है। जितने भी संवेदनशील प्वाइन्ट्स है जितने भी महत्वपूर्ण स्थान है। उनको कवर किया गया है। उनकी सुरक्षा व्यवस्था को कवर किया गया है। इसमें लगभग 40 इन्सपेक्टर, 150 दरोगा, 1300 हेड कांस्टेबल/कांस्टेबल, 250 महिला कांस्टेबल, तथा 300 सादे वस्त्रों में पुलिस कर्मी जो अलग-अलग प्वाइन्ट्स पर रहेंगे तथा खुफिया तंत्र के रूप में काम करेंगे अगर कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार का उन्माद फैलाने की कोशिश करता है तो उसके बारे में खुफिया रूप से जानकारी करेंगे। इसके अलावा हमारे पास 58 कम्पनी CAF की है जो लगभग 6,000 की नफरी हो जाती है। 03 कम्पनी पीएसी है जो वर्तमान में जनपद में मौजूद है। 8 QRT पुलिस लाइन से व 02 महिला पुलिस qrt व 1 कम्पनी महिला पैरामिलिट्री की पर्याप्त फोर्स मौजूद है किसी भी तरह के स्थिति से निपटने के लिए बहुत ही सख्ती से निपटने के लिए हमलोग तैयार है। इसकी नौबत न पड़े इसलिए सबसे संवाद स्थापित किया गया है तथा सबको अवगत कराया गया है। सबका सहयोग भी अच्छा रहा है। ड्रोन हमारे पास उपलब्ध है। ड्रोन का इस्तेमाल अलग-अलग मिश्रित अबादी में किया जा रहा है। जहाँ भी छतों पर या किसी के घर के पीछे हातों में ईट, पत्थर दिखाई दे रहें है उसको हटवाया जा रहा है। लोगो को नोटिस जारी किये जा रहें है। इन- इन पत्थरों को हटवा लें। बहुत से अपने निर्माण कार्य के लिए रखे हुये है उनको यह हिदायत दी गयी है कि इसको हटवा दे। साथ ही साथ आचार संहिता के प्रावधानों के बारे में सबको अवगत करा दिया गया है। 300 की संख्या में हमने बैरियर लगाये है। किसी भी आकस्मिकता से निपटने के लिए लोहे के बैरियर लगाये गये है। जो पुलिस व पब्लिक के बीच एक लाइनिंग के लिए इस्तेमाल होते है। 150 ऐसे चिन्हित व्यक्ति है, जिनका पूर्व में आचरण जनपद में संदेहास्पद रहा है। उनकी बहुत क्लोज स्तर पर निगरानी की जा रही है उनकी गतिविधियों पर पुलिस द्वारा नजर रखी जा रही है। कुल मिलाकर लोगो को जागरूक करना, समझाना- बुझाना ये सारी कार्यवाहिया कर ली गयी है। उसके साथ-साथ हम पूरी तरीके से किसी

भी चुनौती व स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। जनपद के आम जन से मेरी यही अपेक्षा व अनुरोध है कि पुलिस व प्रशासन का आप सहयोग करें। यहाँ की मूल व्यवस्था व शान्ति व्यवस्था बरकरार रहें। यदि कोई संदेह या सूचना होती है तो तत्काल डायल 112 व सीयूजी नम्बर पर सूचना दे।

प्रेस विज्ञप्ति

थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़

थाना कोतवाली पुलिस द्वारा एक नफर वांछित अभियुक्त गिरफ्तार व कब्जे से 1 अदद पीली धातु की लाकेट बरामद।

दिनांक 15.6.22 को समय 02.00 बजे रात्रि काशीराम आवास रैदोपुर से मु.अ.स. 275/22 धारा 379/411 भादवि में वांछित अभियुक्त राकेश उर्फ सुनील पाण्डेय पुत्र चन्द्र प्रकाश निवासी लालगंज कटघर थाना देवगांव जनपद आजमगढ़ जिसे वादिनी धर्मावती निषाद व उनके पति पप्पू निषाद द्वारा थाने पर लाया गया था, को गिरफ्तार कर अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

उल्लेखनीय है कि थाना कोतवाली पर वादिनी मुकदमा श्रीमती धर्मावती निषाद की लिखित सूचना कि अभियुक्त राकेश उर्फ सुनील पाण्डेय उपरोक्त द्वारा वादिनी के गले का लाकेट खीचकर चुरा लेने के सम्बन्ध में अभियोग पंजीकृत कर विवेचना उ.नि. मधुसूदन चौरसिया द्वारा किया जा रहा है।

पंजीकृत अभियोग का विवरण - . मु.अ.स. 275/22 धारा 379/411 भादवि

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण - . राकेश उर्फ सुनील पाण्डेय पुत्र चन्द्र प्रकाश निवासी लालगंज कटघर थाना देवगांव जनपद आजमगढ़

बरामदगी - 1 अदद पीली धातु की लाकेट

गिरफ्तारी करने वाली टीम

उ0नि0 मधुसूदन चौरसिया चौकी प्रभारी सिविल लाईन
कां0 अवधनरायन

थाना- जहानागंज

किशोरी को अगवा कर दुष्कर्म करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना- दिनांक 13.06.22 आवेदक थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ उपस्थित थाना आकर एक किता तहरीर दिया कि मेरी लड़की को सोनू S/O बुधई सा0 कमालचक थाना चिरैयाकोट जि0 मऊ बहला फुसलाकर भगा ले गया है। तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत कर विवेचना अमल में लाई गयी।

गिरफ्तारी का विवरण: श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ महोदय श्री अनुराग आर्य के आदेश के अनुपालन में व पुलिस अधीक्षक नगर महोदय तथा क्षेत्रधिकारी सदर महोदय के निर्देशन में प्रभारी निरीक्षक जहानागंज प्रमेन्द्र कुमार सिंह के प्रयत्न में उ0नि0 योगेन्द्र कुमार थाना से प्रस्थान कर मुकदमा उपरोक्त में घटनास्थल निरीक्षण व अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु ग्राम मसऊदपुर की तरफ जा रहा था कि जरिये मुखबिर खास सूचना मिली कि आपके मुकदमे से सम्बंधित अभियुक्त सोनू कुमार अपने घर से मन्दे बाजार में स्थिति यूनियन बैंक की तरफ जा रहा था यदि जल्दी किया जाये तो पकड़ा जा सकता है। इस सूचना से हमराही कर्मचारीगण को अवगत कराते हुये रास्ते में मुखबिर को साथ लेकर यूनियन बैंक के पास पहुँचा कि कुछ समय पश्चात् एक व्यक्ति मन्दे बाजार से यूनियन बैंक की तरफ आते हुये दिखाई दिया मुखबिर खास ने उसके तरफ ईशारा करके हट बढ़ गया कि बैंक के पास आने पर हम पुलिस वाले एक बारगी घेर घारकर बैंक के पास समय करीब 09.40 बजे दिनांक 16.06.22 पुलिस हिरासत में लिया

गया उसका नाम पता पूछा गया तो अपना नाम सोनू कुमार पुत्र बुधई राम सा0 कमालचक थाना चिरैयाकोट जनपद मऊ उम्र करीब 20 वर्ष बताया। गिरफ्तार कर अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

पुछताछ विवरण— अभियुक्त सोनू कुमार पुत्र बुधई राम सा0 कमालचक थाना चिरैयाकोट जनपद मऊ पूछने पर अपनी सफाई मा0 न्यायालय में देने को कह रहा है।

पंजीकृत अभियोग:-

248/22 धारा 363,366,376 भादवि व ¾ पाक्सो एक्ट थाना जहानागंज आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त-

अभियुक्त सोनू कुमार पुत्र बुधई राम सा0 कमालचक थाना चिरैयाकोट जनपद मऊ

गिरफ्तारी करने वाली टीम का विवरण

1- प्र0नि0 प्रमेन्द्र कुमार सिंह थाना जहानागंज आजमगढ़

2- उ0नि0 योगेन्द्र कुमार थाना जहानागंज आजमगढ़

3- का0 विशाल थाना जहानागंज आजमगढ़

थाना- कप्तानगंज

किशोरी को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

1.पूर्व की घटना /इतिहास का विवरण- दिनांक **08.06.2022** को आवेदिका श्रीमती बिन्दू देवी पत्नी हरिश्चन्द्र ग्राम कल्यानपुर थाना कप्तानगंज जिला आजमगढ़ उपस्थित थाना आकर निम्न मजमून का दिया गया-- प्रार्थिनी की लड़की नेहा यादव उम्र 16 वर्ष को बृजेश यादव पुत्र रामसेवक यादव ग्राम देवदत्त पट्टी थाना निजामाबाद जिला आजमगढ़ दिनांक 18.3.2021 को प्रार्थिनी के मायके से देवदत्त पट्टी से बहला फुसलाकर भगा ले गया था जिसके सम्बन्ध में अ0सं0 48/2021 अं0 धारा 363/366 भा0द0वि0 मु0नं0 207/2021 F.T.C. कोर्ट नं0 1 आजमगढ़ में मुकदमा निचाराधीन है। प्रार्थिनी अपनी बेटी नेहा को राजकीय बालगृह (बालिका) बलिया से 25.02.2022 को अपने घर कल्यानपुर लीवा आई। तब से विपक्षी प्रार्थिनी की लड़की नेहा यादव को प्रार्थिनी के मोबाइल नं0 पर फोन कर हमेशा प्रार्थिनी की लड़की को भगाने की धमकी देता रहता था। प्रार्थिनी की लड़की नेहा नाबालिक है। आज दिनांक 08.06.2022 को समय लगभग 12 बजे दिन में बृजेश यादव प्रार्थिनी की लड़की नेहा यादव को बहला फुसला कर भगा ले गया है। जानकारी होने पर घटना की सूचना श्रीमान् जी को दे रही हूँ। अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि उचित कार्य करने की कृपा करें। जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 172/22 धारा 363/366 IPC बनाम बृजेश यादव पुत्र रामसेवक यादव ग्राम देवदत्त पट्टी थाना निजामाबाद जिला आजमगढ़ के पंजीकृत कर विवेचना प्रचलित है।

2.गिरफ्तारी का विवरण—मु0अ0सं0 172/22 धारा 363/366 IPC से सम्बन्धित अभियुक्त अपने घर पर आया हुआ है यदि जल्दी की जाय तो पकड़ा जा सकता है। मुखबिर के सूचना पर विश्वास करके उ0नि0 गोपाल प्रसाद मौर्य मय हमराही कर्मचारीगण के अभियुक्त के घर ग्राम देवदत्तपट्टी थाना निजामाबाद के घर पर दबिश दिया गया तो अभियुक्त बृजेश यादव पुत्र रामसेवक यादव ग्राम देवदत्तपट्टी थाना निजामाबाद आजमगढ़ घर पर मौजूद मिला नाम पता पूछने पर अपना नाम बृजेश यादव बताया तत्पश्चात अभियुक्त बृजेश यादव पुत्र रामसेवक यादव ग्राम देवदत्तपट्टी थाना निजामाबाद आजमगढ़ उम्र 19 वर्ष को कारण गिरफ्तारी बताते हुये दिनांक 16.06.22 को समय करीब 04.30 बजे हिरासत पुलिस लिया गया। दौराने गिरफ्तारी माननीय सुप्रीम कोर्ट व मानवाधिकार आयोग के आदेशो निर्देशो का पालन किया गया। गिरफ्तारी की सूचना मौके पर अभियुक्त के पिता श्री रामसेवक यादव को दी गयी। अभियुक्त को थाना हाजा लाकर नियमानुसार दाखिल कराया गया व मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किये जाने हेतु अभियुक्त को रवाना किया गया।

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0 172/22 धारा 363/366 IPC थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. बृजेश यादव पुत्र रामसेवक यादव ग्राम देवदत्तपट्टी थाना निजामाबाद आजमगढ़।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस टीम –

1. उगोपाल प्रसाद मौर्य 0नि0
2. का शैलेश यादव 0
3. कासंदीप कुमार दूबे 0

थाना दीदारगंज

गोमांस के साथ 02 नफर अभियुक्त गिरफ्तार ।

पूर्व का विवरण- दिनांक 15.6.22 को चेकिंग के दौरान मोटर साइकिल से अभियुक्तगणों द्वारा बोरे मे 30 किलो गौमांस लेकर जाते समय पुलिस द्वारा पकड लिया जाना।

गिरफ्तारी का विवरण:-

आज दिनांक 15.6.2022 को उपनिरीक्षक रवीन्द्र नाथ पाण्डेय चौकी प्रभारी मार्टीनगंज मय हमराह का0 सदानन्द सिंह का0 उमाशंकर पटेल का0 आशीष प्रताप सिंह चौकी मार्टीनगंज से रवाना होकर देखभाल क्षेत्र व शान्ति व्यवस्था/ चेकिंग सदिग्ध व्यक्ति/ वाहन/ सायं काल गस्त कस्बा मार्टीनगंज बाजार में मौजूद था कि जरिये मुखवीर सूचना मिली कि भरोटी खेतासराय से 2 व्यक्ति मोटर साइकिल से गोमांस लेकर आ रहे है जो चितारा महमूदपुर जायेंगे इस सूचना पर विश्वास करके मैं उपनिरीक्षक रविन्द्र नाथ पाण्डेय मय हमराहीगण के मुखवीर को साथ लेकर सोंगर पुलिया से करीब 50 मीटर पहले खडा होकर चेकिंग करने लगे तभी एक मोटर साइकिल सोंगर पुलिया के तरफ से जिस पर 2 व्यक्ति बैठे है आते दिखायी दिये कि नजदीक आने पर मुखबिर ने इशारा करके बताया कि यह वही मोटर साइकिल वाले व्यक्ति है जो गोमांस लेकर आ रहे है। आते हुये मोटर साइकिल को हमराही कर्म0गण द्वारा टार्च की रोशनी से रोकने का इशारा किया गया तो मोटर साइकिल मुड़ा कर भगाना चाहे कि लुढक कर गिर गये। हम पुलिस वाले एक बारगी दाबिश देकर उन्हे मय मोटर साइकिल पर रखे बोरे में सामाग्री सहित दोनो को पकड लिया गया। पकडे गये व्यक्ति से उसका नाम पता पुछा गया तो अपना नाम मुहम्मद अहमद पुत्र अलाउद्दीन निवासी डेहरी थाना केराकत जनपद जौनपुर बताया तथा पीछे बैठे व्यक्ति से नाम पता पूछा गया तो अपना नाम अब्दुर रहमान s/o इश्तियाक निवासी चितारा महमूदपुर जनपद आजमगढ़ बताया। तथा बरामद बोरे में 30 Kg गोमांस बरामद हुआ। इनसे मोटर साइकिल नम्बर UP 50 U 5631 होण्डा के कागज को तलब किया गया तो दिखाने पर कासिर रहे। उक्त मोटर साइकिल को अन्तर्गत धारा 207 MVAAct में सीज किया गया। अभियुक्तगण का यह कार्य अन्तर्गत धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधि0 का अपराध पाया जा रहा है। अभियुक्तगण उपरोक्त को उक्त अपराध का बोध कराते हुए समय करीब 19.30 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग – मु0अ0सं0 151/2022 धारा 3/5/8गोवध नि0अधि0 थाना दीदारगंज आजमगढ़।

पूछताछ विवरण:- पूछताछ पर अभियुक्तगणों द्वारा बताया गया कि गोमांस हम लोग खुद भी खाते है तथा बेचकर अपने परिवार का जीवकोपार्जन करते है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता -

1. मुहम्मद अहमद पुत्र अलाउद्दीन निवासी डेहरी थाना केराकत जनपद जौनपुर
2. अब्दुर रहमान पुत्र इश्तियाक निवासी चितारा महमूदपुर जनपद आजमगढ़

आपराधिक इतिहास-

घटनास्थल- सोंगर पुलिया

बरामदगी- 30 किलो गोमांस

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण:-

1. उरविन्द्र नाथ पाण्डेय चौकी प्रभारी मार्टीनगंज 0नि0 थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़।
2. का, उमाशंकर पटेल 0थाना दीदारगंज आजमगढ़।
3. का 0सदानन्द सिंह ,थाना दीदारगंज आजमगढ़।

4. का 0आशीष प्रताप सिंह थाना दीदारगंज आजमगढ़।